महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 जनवरी, 2006

सं. टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, कोच्चि पत्तन न्यास की प्रचलित दरों की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी

आदेश

(दिसम्बर 2005 के 27वें दिन पारित)

कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी) के दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार, दिसम्बर 2003 में संशोधित किया गया था और उस आदेश को दरमान सहित राजपत्र सं. 14 द्वारा, राजपत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 में अधिसूचित किया गया था। दरमान की वैधता को आदेश की अधिसूचना तिथि से दो साल के लिए निर्धारित किया गया था। तद्नुसार, जनवरी 2006 में इसकी समीक्षा करनी होगी।

2. सीओपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए, संबन्धित लागत विवरणियों तथा प्रस्तावित दरमान सहित, अपना प्रस्ताव दिनांक 1 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत किया है। सीओपीटी के प्रस्ताव को, निधारित सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबन्धित उपयोगकर्ताओं तथा उपयोगकर्ता संगठनों को अग्रेषित किया गया है।

3. इस बीच, सीओपीटी ने, अपने प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने तक, प्रचलित प्रशुल्क को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4. चूँकि सीओपीटी का प्रस्ताव अभी तक परामर्श अवस्था में ही है और प्रस्ताव की संवीक्षा तथा विश्लेषण के लिए अतिरिक्त समय लगेगा, यह प्राधिकरण सीओपीटी के प्रचलित दरमान को वैधता को 30 जून, 2006 तक या अंतिम दरों की अधिसूचना की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2005-असाधारण]